पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 1499 वर्ष 2017

==========

1. अरबिंद कुमार सिंह, पिता- स्वर्गीय गोपी सिंह @ गोपी अहीर
2. जयविंद कुमार सिंह @ जयविंद कुमार, पिता-स्वर्गीय गोपी सिंह @ गोपी अहीर
3. शांति देवी @ मोस्मत शांति देवी, पति- स्वर्गीय गोपी सिंह @ गोपी अहीर
4. राम प्रवेश सिंह @ राम प्रवेश अहिर, पिता- स्वर्गीय महेश अहिर
5. सुरेश सिंह @ सुरेश अहीर, पिता-स्वर्गीय महेश अहीर
6. गुलजारो देवी @ मोस्मत गुलजारो देवी, पति- स्वर्गीय रामचंद्र अहीर
7. ददन सिंह, पिता- स्वर्गीय रामचंद्र अहीर
8. मदन सिंह, पिता- स्वर्गीय रामचंद्र अहीर
9. अमर सिंह, पिता- स्वर्गीय रामचंद्र अहीर
10. सुशील सिंह @ सुशील कुमार, पिता--स्वर्गीय रामचंद्र अहीर
11. बैजंती देवी @ मोस्मत बिजेंटी देवी, पति- स्वर्गीय बीरेंद्र अहिर

    सभी गांव-मधुरमपुर, थाना- अकोर्ही गोला, जिला-रोहतास, सासाराम की निवासी हैं।
12. श्री रामश्री सिंह की पत्नी लाचो देवी @ लैची देवी, स्वर्गीय जगदीश अहीर की बेटी, निवासी गाँव- दिघी, थाना- बरुण, जिला-औरंगाबाद, वर्तमान निवासी गाँव- मधुरमपुर, थाना- अकोर्ही गोला, जिला-सासाराम।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. ललिता देवी, पति- राम प्रसाद सिंह, निवासी गाँव-बहुरिया बीघा, थाना- बरुण, जिला-औरंगाबाद वर्तमान में मधुरमपुर, पोस्ट-अकोड़ी गोला, थाना-अकोड़ी गोला, जिला-रोहतास सासाराम।

2. मालती देवी, पति- श्याम किशोर सिंह, निवासी गांव-तिरशी बीघा, पोस्ट-कच्चिडी, थाना-काराकट, जिला-रोहतास सासाराम।
3. गीता देवी, पति- बिनोद कुमार सिंह, निवासी गाँव-सिरियाओ तोला, पोस्ट-श्रीखंडा, थाना-नोखा, जिला- रोहतास सासाराम। वर्तमान गाँव-मधुरामपुर, डाक और थाना-अकोड़ी गोला, जिला-रोहतास सासाराम में।

....उत्तरदातागण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री रामचंद्र सिंह, अधिवक्ता

श्री शंकर कुमार, अधिवक्ता

श्री जितेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्री महेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता

श्री राधा कृष्ण, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से : कोई नहीं

==========

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश XXII नियम 12—कानूनी उत्तराधिकारियों का प्रतिस्थापन—कार्यकारी न्यायालय ने 31 वर्षों के बाद निर्णय धारक/प्रतिवादियों द्वारा दायर प्रतिस्थापन याचिका को अनुमति दी—न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या मृतक निर्णय देनदार या निर्णय धारक के उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधियों को कुछ निर्धारित समय अवधि के भीतर लाया जाना चाहिए या प्रतिस्थापन को समय की लंबाई में अनुमति दी जा सकती है—एक मुकदमे में सामान्य सिद्धांत यह है कि निर्णय पारित होने से पहले, कानूनी प्रतिनिधियों को एक विशेष अवधि के दौरान रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए, यह निर्णय धारक या निर्णय देनदार की मृत्यु के मामलों में निष्पादन कार्यवाही में लागू नहीं होता—याचिका खारिज।

(पैरा 4, 5 और 7)

(1998) 3 एससीसी 148; (2020) 11 एससीसी 598—निर्भर किया गया।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

मौखिक निर्णय

तारीखः 11-02-2025

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना। उत्तरदाताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2. याचिकाकर्ता 1980 के निष्पादन मामला संख्या 08 में सासाराम में नवम अवर न्यायाधीश, रोहतास द्वारा पारित दिनांक 27.04.2017 के आदेश से व्यथित हैं, जिसके तहत मृत प्रतिवादियों और वादियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने के लिए डिक्री धारक/प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दी गई है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिस्थापन याचिका 03.08.2016 पर दायर की गई थी और दिनांक 27.04.2017 के विवादित आदेश के माध्यम से, विद्वान निष्पादन अदालत ने इसकी अनुमति दी, हालांकि यह अत्यधिक समय वर्जित था। मृतक वादी/प्रतिवादियों की उनकी मृत्यु और उनकी मृत्यु की जानकारी के बारे में कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया है। प्रतिस्थापन याचिका को 31 वर्षों के बाद अनुमति दी गई थी और इसमें अत्यधिक देरी हुई थी और यह निर्णय देनदारों/याचिकाकर्ताओं के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा।

4. इस न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा संकीर्ण दायरे में है कि क्या मृतक निर्णय ऋणी या डिक्री धारक के उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों को कुछ निश्चित समयावधि के भीतर लाया जाना चाहिए या किसी भी समयावधि में प्रतिस्थापन की अनुमति दी जा सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') के आदेश 22

नियम 12 में यह प्रावधान है कि नियम 3, 4 और 8 में दी गई कोई भी बात डिक्री या आदेश के निष्पादन की कार्यवाही पर लागू नहीं होगी। इस कारण से, निष्पादन कार्यवाही में कोई कमी नहीं होगी जिसका अर्थ है कि किसी मुकदमे में लागू प्रथा या सिद्धांत कि डिक्री पारित होने से पहले कि कानूनी प्रतिनिधियों को एक विशेष अवधि के भीतर रिकॉर्ड पर लाया जाना है और यदि उन्हें उक्त अवधि के भीतर रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता है, तो मुकदमा समाप्त हो जाएगा। हालाँकि, यह कार्य निष्पादन कार्यवाही में डिक्री धारक या निर्णय देनदार की मृत्यु के मामलों पर लागू नहीं होता है। यदि कोई कमी नहीं है, तो निष्पादन की कार्यवाही निष्पादन अदालत के रिकॉर्ड में रहेगी। यदि यह लंबित रहता है और निष्पादन कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो डिक्री धारक के कानूनी प्रतिनिधि किसी भी समय रिकॉर्ड पर आ सकते हैं। इसके अलावा, डिक्री धारक के कानूनी प्रतिनिधियों के पीछे चूक के लिए निष्पादन आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता । इसी तरह, किसी निर्णय देनदार की मृत्यु के मामले में, डिक्री धारक किसी भी समय निर्णय देनदार के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन दायर कर सकता है।

5. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***वी. उथिरापथी बनाम अशरब अली एवं अन्य*** के मामले में दिए गए निर्णय ***(1998) 3 एससीसी 148*** का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि किसी मुकदमे में यह सामान्य सिद्धांत कि डिक्री पारित होने से पहले, कानूनी प्रतिनिधियों को एक विशेष अवधि के दौरान रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए, निष्पादन कार्यवाही में डिक्री धारक या निर्णय ऋणी की मृत्यु के मामलों पर लागू नहीं होता है। ***वी. उथिरपति*** (सुप्रा) को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***वरदराजन बनाम कनकवल्ली और अन्य, (2020) 11 एससीसी 598,*** के मामले में संदर्भित किया गया था, जिसका पैराग्राफ संख्या 8 इस प्रकार है:-

*"**8.** हम कह सकते हैं कि संहिता का आदेश XXII एक मुकदमे में लंबित कार्यवाही पर लागू होता है। लेकिन कानूनी प्रतिनिधियों के परस्पर विरोधी दावों का निर्णय आदेश XXII के नियम 5 के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निष्पादन कार्यवाही में किया जा सकता है। इस न्यायालय ने वी. उथिरापति बनाम अशराब और अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय में कहा कि डिक्री पारित होने से पहले एक मुकदमे में उत्पन्न होने वाला सामान्य सिद्धांत- कि कानूनी प्रतिनिधियों को एक विशेष अवधि के भीतर रिकॉर्ड पर लाया जाना है, डिक्री धारक या निर्णय-देनदार की मृत्यु के मामलों में लागू नहीं होता है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-*

"11. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 22 नियम 12 इस प्रकार हैः

*"**आदेश 22 नियम 12: आदेश का कार्यवाही पर लागू होना-** नियम 3,4 और 8 में कुछ भी डिक्री या आदेश के निष्पादन की कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।*

12. दूसरे शब्दों में, डिक्री पारित होने से पहले एक मुकदमे में उत्पन्न होने वाला सामान्य सिद्धांत- कि कानूनी प्रतिनिधियों को एक विशेष अवधि के भीतर रिकॉर्ड पर लाया जाना है और यदि नहीं, तो मुकदमा समाप्त हो सकता है- डिक्री धारक या निर्णय-देनदार की मृत्यु के मामलों में लागू नहीं होता है।

13. वेंकटचलम चेट्टी बनाम रामास्वामी सर्वई [आई.एल.आर. (1932) 55 मैड 352; ए.आई.आर. 1932 मैड 73 (एफ. बी.)] मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने निर्णय दिया है कि यह नियम अधिनियमित करता है कि उपशमन का जुर्माना निष्पादन कार्यवाही से जुड़ा नहीं होगा। सी.पी.सी. पर मुल्ला की टिप्पणी पुस्तक [(खंड

3)पी. 2085 (15 वीं संस्करण, 1997)] उच्च न्यायालयों के बड़ी संख्या में निर्णयों को संदर्भित करता है और कहता है:

"नियम 12 एक ऐसी छूट प्रदान करता है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जहां निष्पादन कार्यवाही के किसी पक्ष की इसकी विचाराधीनता के दौरान मृत्यु हो जाती है, उपशमन के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिए, यह नियम डिक्री धारक के लाभ के लिए है, क्योंकि उसके उत्तराधिकारियों को नियम 2 के तहत प्रतिस्थापन के लिए कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कार्यवाही जारी रखने के लिए तुरंत या किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं या वे एक नया निष्पादन आवेदन दायर कर सकते हैं।"

(जोर दिया गया)

14. हमारी राय में, सी.पी.सी. पर मुल्ला की टिप्पणी में कानून का उपरोक्त कथन, निष्पादन कार्यवाही में पक्षों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और सिविल न्यायालय की शक्तियों से संबंधित कानूनी स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है।"

6. पूर्व में की गई चर्चा के आलोक में, मुझे सासाराम में रोहतास के विद्वान उप न्यायाधीश-IX द्वारा निष्पादन वाद संख्या 08/1980 में पारित दिनांक 27.04.2017 के विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं दिखती है, इसलिए, इसकी पुष्टि की जाती है।

7. तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

बालमुकुन्द/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।